न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या– 107/2025

वादी :–

1. दुर्गाराम पटेल पुत्र लालाराम जाति पटेल (धमाणिया) निवासी बेरा पडायों की ढीमडी लकूडी मंगरी, हर्ष रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितिः–वादी – श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी – सरकारी पेरोकार।

निर्णय दिनांकः– 21/04/26

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा आई हुई है। जिसके चालु जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार खाता संख्या नये 1556 व पुराना 1442 है, जो चालु जमाबन्दी में गुलाबनाथ पुत्र अमरनाथ, जाति नाथ के नाम से गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है। जिसे वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। वादग्रस्त भूमि का पूर्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 था, जिसकी खातेदारी सरकार के नाम दर्ज थी तथा किस्म गै.मु. मगरा थी। वादग्रस्त भूमि पर चालु जमाबन्दी में दर्ज गैर खातेदार गुलाबनाथ पुत्र अमरनाथ का कभी भी कब्जा नही रहा है व न ही वादग्रस्त भूमि राज्य सरकार द्वारा गुलाबनाथ को आवंटित की गयी। गुलाबनाथ को तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खसरा संख्या 3127 में से रकबा 500 वर्गगज भूमि के सम्बंध में दिनांक 28.05.1973 को सनद जारी की गयी। तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से गुलाबनाथ का नाम गैर खातेदारी का म्यूटेशन संख्या 2093 वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में दर्ज कर दिया गया। गुलाबनाथ का स्वर्गवास दिनांक 28.11.2002 को हो चुका है तथा गुलाबनाथ के वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में फौतेदगी म्यूटेशन हेतु हल्का पटवारी बिलाड़ा चक नं. 4 को आवेदन किया गया, परन्तु वादग्रस्त भूमि गुलाबनाथ को आवंटन नही होने से तथा वादग्रस्त भूमि पर गुलाबनाथ व उसके वारिसान का कब्जा नही होने से गुलाबनाथ के वारिसानों के नाम दर्ज म्यूटेशन संख्या 3443 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा वादग्रस्त भूमि की चालु जमाबन्दी में भी अस्वीकृत ६ निरस्त नामान्तरकरण का नोट अंकित है। गुलाबनाथ के पुत्र शोकीन नाथ द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में वादी, वादी के पुत्र जगदीश व प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88. 183, 188 आर.टी. एक्ट के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया था, जिसके दर्ज नम्बर 28/2021 है। उक्त राजस्व वाद में भी प्रतिवादी द्वारा इस आशय का जवाब पेश किया गया कि ष्वादग्रस्त भूमि पर गुलाबनाथ व उसके वारिसान का कब्जा नही है तथा न ही वादग्रस्त भूमि गुलाबनाथ को आवंटित हुई। गुलाबनाथ के नाम खसरा संख्या 3127 में से रकबा 500 वर्गगज भूमि के सम्बंध में तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा सनद जारी की गयी। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में गुलाबनाथ के नाम राज्य सरकार ६ तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा कोई सनद जारी नहीं की गयी। वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी का दर्ज म्यूटेशन संख्या 2093 कानूनी रूप से सही नही है, इसलिए उक्त नामान्तरकरण को खारिज किया जावे ष तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा पेश इस आशय के जवाब के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि पर शौकीन नाथ का कब्जा

होना नहीं मानते हुए, वादग्रस्त भूमि शौकीन नाथ के पिता गुलाबनाथ को आवंटन नही होना मानते हुए शौकीन नाथ द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2022 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध शौकीन नाथ द्वारा अपीलीय न्यायालय श्री राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की, जिसके दर्ज नम्बर 161/2022 है, जिसे भी अपीलीय न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि शौकीननाथ के पिता गुलाबनाथ को आवंटन होना नही मानते हुए तथा वादग्रस्त भूमि पर गुलाबनाथ व शौकीननाथ का कब्जा होना नही मानते हुए शौकीननाथ द्वारा प्रस्तुत अपील को पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023 द्वारा खारिज कर दी गयी। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि राज्य सरकारध्तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा गुलाबनाथ को आवंटित्त नहीं किये जाने से तथा वादग्रस्त भूमि पर गुलाबनाथ का कब्जा नही होते हुए भी वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में बिना आंवटन व बिना कब्जे के आधार पर गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज म्यूटेशन संख्या 2093 कानून की दृष्टि में शून्य व अवैध व अप्रभावी है, जिसके आधार पर वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में गुलाबनाथ व उसके वारिसान को कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होते है तथा वादग्रस्त भूमि को पुनः सरकारी भूमि घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि होने से वादग्रस्त भूमि में वादी व आमजन का हित है, इसलिए वादी को प्रस्तुत वाद पेश करने का कानूनन अधिकार है। इसलिए वादग्रस्त भूमि को सरकारी भूमि घोषित किये जाने हेतु यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। वादकारण वादग्रस्त भूमि गुलाबनाथ पुत्र अमरनाथ को राज्य सरकारध्तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा आवंटन नही किया जाने तथा वादग्रस्त भूमि पर गुलाबनाथ का कभी भी कब्जा नहीं होने पर भी तत्कालीन राजस्व अधिकारियों द्वारा वादग्रस्त भूमि जरिये म्यूटेशन 2093 द्वारा गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज करने तथा म्यूटेशन संख्या 2093 कानून की दृष्टि में शून्य, अवैध व अप्रभावी होने से गुलाबनाथ व उसके वारिसान को कानूनन किसी प्रकार से हक व अधिकार प्राप्त नही होने से तथा गुलाबनाथ के पुत्र शौकीननाथ द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश राजस्व वाद संख्या 28/2021 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2022 द्वारा खारिज किये जाने से तथा शौकीननाथ द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2022 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय श्री राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में पेश अपील संख्या 161/2022 भी अपीलीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.06.2023 द्वारा खारिज किये जाने से तथा गुलाबनाथ फौत होने पर उसके वारिसान द्वारा फौतेदगी म्यूटेशन हेतु पेश आवेदन पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 3443 भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किये जाने से तथा वादग्रस्त भूमि पुनः सरकारी दर्ज किया जाना उचित होने से तथा वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि होने से वादी व आमजन का वादग्रस्त भूमि में हित होने से वादी को प्रस्तुत वाद पेश करने का अधिकार होने से तथा आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पुनः सरकारी दर्ज नहीं किये जाने से बमुकाम् ग्राम बिलाडा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो सतत् जारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में स्व. गुलाबनाथ के वारिसान को पक्षकार नही बनाया क्योकि गुलाबनाथ का उसके वारिसान के नाम दर्ज फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 3443 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिस कारण गुलाबनाथ के वारिसानों का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नही किया गया, इसलिए गुलाबनाथ के वारिसान का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं होने व उनके माम दर्ज फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 3443 सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने से गुलाबनाथ के वारिस प्रस्तुत वाद में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार नहीं होने से उन्हे प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के रूप में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा को पक्षकार बनाया है क्योकि वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में तत्कालीन तहसीलदार बिलाडा द्वारा ही बिना आवंटन व बिना कब्जा के

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

म्यूटेशन संख्या 2093 गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदार के रूप में स्वीकृत किया गया। इसलिए प्रतिवादी के रूप में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा को पक्षकार बनाया गया है ताकि वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में वास्तविक स्थिति माननीय न्यायालय के समक्ष आ सके तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही चाहा है, इसलिए प्रतिवादी को वाद प्रस्तुती के पूर्व दो माह की अवधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक नही है। दावा बाबत् वादग्रस्त भूमि सरकारी भूमि घोषित किये जाने हेतु होने से तथा वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रस्तुत वाद माननीय न्यायालय को सुनवाई करने का श्रवणाधिकार है व प्रस्तुत वाद के सम्बंध में माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा के सम्बंध में गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी का दर्ज म्यूटेशन संख्या 2093 को शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित करते हुए वादग्रस्त भूमि को पूर्व अनुसार सरकारी भूमि घोषित किया जाने का आदेश फरमावे तथा वादग्रस्त भूमि की किस्म पुनः पूर्व अनुसार गै. मु. मगरा दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे तथा आदेश की पालना में नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक न. 4 के खसरा संख्या 3592/29 रकबा 0.0405 है. किस्म गै.मू. बाड़ा दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2076 से 2079 के नया खाता संख्या 1556 व पुराना खाता संख्या 1442 के उक्त खसरे 3592/29 की भूमि गुलाबनाथ पुत्र अमरनाथ हिस्सा पूर्ण जाति नाथ सा. देह गैर खातेदार के रूप में इन्द्राज है। नामान्तकरण संख्या 2093 से उक्त खसरे में जरिये आदेश तारिख 28.05.73 के अनुसार गुलाबनाथ पुत्र अमरनाथ जोगी गैर खातेदार इन्द्राज हुआ। खसरा संख्या 3592/29 पर नामान्तकरण संख्या 3443 विरासत, मय पटवारी टिप्पणी गुलाबनाथ की पत्नि का मृत्यु प्रमाण पत्र सलग्न न होने व वंशावली पूर्ण नहीं होने से अस्वीकृत किया गया। मौके पर खसरा संख्या 3592/29 पर गुलाबनाथ पिता अमरनाथ का किसी प्रकार का कब्जा होना नहीं पाया गया। गुलाबनाथ को तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खसरा संख्या 3127 में से रकबा 500 वर्गगज भूमि के सम्बंध में दिनांक 28.05.1973 को सनद जारी की गयी जो संग्रह स्थल हेतु जारी की गयी तथा संग्रह स्थल में खातेदारी नहीं दी जा सकती है। तत्कालीन राजस्व कर्मचारीयो द्वारा सहवन से गुलाबनाथ का नाम गैर खातेदारी का म्युटेशन संख्या 2093 खसरा संख्या 3127 के सम्बन्ध में दर्ज न कर खसरा संख्या 3592/29 की भूमि के सम्बंध में दर्ज कर दिया गया। गुलाबनाथ के पुत्र शौकिन नाथ द्वारा खसरा संख्या 3592/29 की भूमि के संम्बंध में वादी, वादी के पुत्र जगदीश व तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा के विरुद्ध एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,183,188 आर.टी. एक्ट के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा में पेश किया था जिसके दर्ज नम्बर 28/2021 है। उक्त राजस्व वाद में भी तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा इस आशय का जवाब पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर गुलाबनाथ व उसके वारिसान का कब्जा नहीं है तथा न ही वादग्रस्त भूमि गुलाबनाथ को आवटित हुई। गुलाबनाथ के नाम खसरा संख्या 3127 में से रकबा 500 वर्गगज भूमि के सम्बन्ध में तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा सनद जारी की गयी। वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गुलाबनाथ के नाम राज्य सरकार ६ तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा कोई सनद जारी नहीं की गयी।

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी का दर्ज म्युटेशन संख्या 2093 कानुनी रुप से सही नहीं है, इसलिए उक्त नामान्तकरण को खारिज किया जावे। समकालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा पेश इस आशय के जवाब के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 3592/29 की भूमि पर शौकीन नाथ का कब्जा होना नहीं मानते हुए खसरा संख्या 3592/29 की भूमि शौकीन नाथ के पिता गुलाबनाथ को आवंटन नहीं होना मानते हुए शौकीन नाथ द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को निर्णय व विक्री दिनांक 12.09.2022 द्वारा खारिज कर दिया जिसके विरुद्ध शौकीन नाथ द्वारा अपीलीय न्यायालय श्री राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के न्यायालय में अपील पेश की जिसके दर्ज नम्बर 161/2022 है जिसे भी अपीलीय न्यायालय ट्वारा खसरा संख्या 3592/29 की भूमि शौकीनन्नाथ के पिता गुलाबनाथ को आवंटन होना नहीं मानते हुए तथा खसरा संख्या 3592/29 की भूमि पर गुलाबनाथ व शौकीननाथ का कब्जा होना नहीं मानते हुए शौकिननाथ द्वारा प्रस्तुत अपील को पारित निर्णय दिनांक 19.06.2023 द्वारा खारिज कर दी गयी। खसरा संख्या 3592/29 की भूमि राज्य सरकार / तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा गुलाबनाथ को आवटित नहीं किये जाने से तथा खसरा संख्या 3592/29 की भूमि पर गुलाबनाथ का कब्जा नहीं होते हुए भी खसरा संख्या 3592/29 की भूमि के सम्बन्ध में बिना आंवटन व बिना कब्जे के आधार पर गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी के रुप में दर्ज म्युटेशन संख्या 2093 कानुन की दृष्टि में शून्य व अवैध व अप्रभावी है जिसके आधार पर खसरा संख्या 3592/29 की भूमि के सम्बन्ध में गुलाबनाय व उसके वारिसान को कानुनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा खसरा संख्या 3592/29 की भूमि को पुनः सरकारी भूमि घोषित किया जाना उचित है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक न. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3592/29 रकबा 0.0405 है. किस्म गै.मू. बाड़ा के सम्बन्ध मे गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी का दर्ज म्युटेशन संख्या 2093 को शून्य अवैध व अप्रभावी घोषित किये जाने व खसरा संख्या 3592/29 की भूमि को पूर्व अनुसार सरकारी भूमि घोषित किये जाने तथा खसरा संख्या 3592/29 की भूमि की किस्म पुनःपूर्व अनुसार गै. मु. मगरा दर्ज किये जाने की अनुशंषा वर्तमान हल्का पटवारी द्वारा पेश जवाब पूर्व में राजस्व वाद संख्या 18/2021 में तत्कालीन तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा पेश जवाब मय तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। प्रतिवादी की ओर से दावा का खण्डन नहीं होने के कारण तन्नकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य पेश किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र दुर्गाराम पटेल पुत्र लालाराम जाति पटेल का पेश किया गया।

वादी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में प्रदर्श 1 खसरा नम्बर 3592/29 ग्राम बिलाडा चक 4 , प्रदर्श 2 नामान्तरकरण सं. 3443 ग्राम बिलाडा चक नं. 4 , प्रदर्श 3 राजस्व मूलवाद सं. 28/2021 अनवान शोकिननाथ बनाम दुर्गाराम, प्रदर्श 4 आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श 5 म्यूटेशन सं. 2093 की प्रति आदि प्रदर्शित करवाये गये।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा प्रदर्शित दस्तावेजात् की ओर ध्यान आकर्षित करवाया। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य व प्रतिवादी की अनुशंषा के आधार पर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा के सम्बंध में गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी का दर्ज म्यूटेशन संख्या 2093 को शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित किया जाना उचित है तथा वादग्रस्त भूमि को पूर्व अनुसार सरकारी भूमि घोषित किया जाना उचित है तथा वादग्रस्त भूमि की किस्म पुनः पूर्व अनुसार गै.मु. मगरा दज किया जाना उचित है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा के सम्बंध में गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी का दर्ज म्यूटेशन संख्या 2093 को शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि को पूर्व अनुसार सरकारी भूमि घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि की किस्म पुनः पूर्व अनुसार गै.मु. मगरा दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वो मुताबिक आदेश अनुसार म्यूटेशन संख्या 2093 पर शून्य, अवैध व अप्रभावी का नोट अंकित करे तथा वादग्रस्त भूमि को पूर्व अनुसार सरकारी भूमि दर्ज कर व वादग्रस्त कृषि भूमि की किस्म गै.मु.मगरा दर्ज करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एसडीओ बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/04/16 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
एसडीओ बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी :– बनाम प्रतिवादी :–
दुर्गाराम सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955
बाबत् सरकारी भूमि घोशित करने

राजस्व वाद संख्या :– 107/2025

निर्णय दिनांक :– 21/04/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू मेरे व हाजिर श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेष होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 3592/29 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा के सम्बंध में गुलाबनाथ के नाम गैर खातेदारी का दर्ज म्यूटेशन संख्या 2093 को शून्य, अवैध व अप्रभावी घोषित किया जाता है तथा वादग्रस्त भूमि को पूर्व अनुसार सरकारी भूमि घोषित किया जाकर वादग्रस्त भूमि की किस्म पुनः पूर्व अनुसार गै.मु. मगरा दर्ज किये जाने का आदेष प्रदान किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेशित किया जाता है कि वो मुताबिक आदेश अनुसार म्यूटेशन संख्या 2093 पर शून्य, अवैध व अप्रभावी का नोट अंकित करे तथा वादग्रस्त भूमि को पूर्व अनुसार सरकारी भूमि दर्ज कर व वादग्रस्त कृषि भूमि की किस्म गै.मु. मगरा दर्ज करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्णय मय डिक्री पर्चा की नकल साथ भेजकर पालना रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह–सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिष्नर			फीस कमिष्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा